म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय, ब्लाक नं.–07, प्रथम तल, शक्तिभवन रामपुर, जबलपुर

विद्युद ब्रह्मेति

क्र. पूक्षे./मु.म.प्र./वाणिज्य/राजस्व/1127 जबलपुर, दिनांक 23/06/2018

प्रति,

मुख्य अभियंता (जक्षे/साक्षे/रीक्षे),
म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लिमि.
जबलपुर/सागर/रीवा

विषयः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों में छूट प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भः विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग का पत्र क्रमांक 5023/2018/तेरह दिनांक 18 जून 2018

000

प्रदेश में दिनांक 14 जुलाई 2018 (शनिवार) को होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जबलपुर द्वारा मान. लोक अदालत के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हैं।

उपरोक्त एवं म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग के संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 14 जुलाई 2018 (शनिवार) को आयोजित होने वाली **"नेशनल लोक अदालत"** में निराकरण किये जाने हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं, ऐसे प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ता द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, के प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नलिखित निम्नदाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जावेगी :–

(i) समस्त घरेलू
(ii) समस्त कृषि
(iii) 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू
(iv) 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक

(i) **प्रिलिटिगेशन स्तर पर** :– कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश (126 के प्रकरणों में अंतिम निर्धारण आदेश) जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार **16 प्रतिशत** प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर **100 प्रतिशत** की छूट दी जावेगी।

(ii) **न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में** :– कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार **16 प्रतिशत** प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में **100 प्रतिशत** की छूट दी जावेगी।

उपरोक्तानुसार छूट निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के तहत दी जावेगी :–

1. आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
2. उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।
3. आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
4. नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के प्राप्त नहीं होंगे।
5. सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेगी।

यह छूट मात्र नेशलन लोक अदालत दिनांक **14 जुलाई 2018** में समझौता करने के लिये ही लागू रहेगी।

अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।

मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.)

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर।
2. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा)/(कार्य)/(प्रवर्तन) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
5. मुख्य कम्प्यूटर (सी एस एण्ड ए) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
6. महाप्रबंधक (सीसीसीसी), म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
7. अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा)/(शहर) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. ....
8. कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा)/(शहर) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. ....
9. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. ....
10. जन सम्पर्क अधिकारी, म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
11. निज सचिव/स्टाफ आफीसर, सम्बद्ध प्रबंध संचालक, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि. /पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र, विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जबलपुर /भोपाल/ इन्दौर

टीप –(क्र.–7 के लिये) अधीक्षण अभियंता इस पत्र की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यपालन अभियंता /सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता स्तर तक प्रेषित कर परिपालन सुनिश्चित करें।